यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) -3 राज्य कर रूद्रपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) -3 राज्य कर रूद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, अजय कुमार मश्रा सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं र व भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 08.02.2018 से 19.02.2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री एन.के.बंसल सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 23.01.2017 से 01.02.2017 तक श्री पी.के.गुप्ता लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः

(ii) (अ) राजस्व ववरणः

वगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व
2014-15	19754.19
2015-16	21849.97
2016-17	19883.53

(II) (ब) बजट का ववरण:- वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	बजट आवंटन		व्यय		बचत	
	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2014-15						
2015-16				शून्य		
2016-17						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन इकाई द्वारा आहरण वतरण का कार्य नहीं कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई .....शून्य.... श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव- आयुक्त कर- ए डशनल क मश्नर- ज्वाइन्ट क मश्नर- डप्टी- सहायक आयुक्त- वा णज्य कर अ धकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) -3 राज्य कर रूद्रपुर को आच्छादित कया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) -3 राज्य कर रूद्रपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - 03/2017

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर.01ः–अर्थदण्ड का अनारोपण रु.8.53 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 की उपधारा –VII (ख) के अनुसार देय कर बिना किसी कारण के बिलम्ब से जमा करने पर देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिकतम 25 प्रतिशत यदि कर दस हजार रुपये तक हों और देय कर का 50 प्रतिशत यदि देय कर दस हजार रुपये से अधिक हो का प्रावधान किया गया है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–तृतीय वाण्ज्यि कर रुद्रपुर के माह 04/2016 से मार्च 2017 तक के अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि निम्नलिखित व्यौहारियों द्वारा अपने देय कर बिलम्ब से जमा किया गया :–

क्र सं0	व्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर अवधि	कर की देय तिथि	जमा की दिनॉक	बिलम्ब माह/दिन	धनराशि रुपये में	अर्थदण्ड रुपये में
1.	सर्वश्री अलंकार बाथ एसेसटस रुद्रपुर 13–14		अप्रैल 13	25.05.13	05.06.13	17दिन	5,00,000.00	50,000.00
			अप्रैल 13	25.05.13	12.06.13	7 दिन	2,65,288.00	26,529.00
			मई 13	25.06.13	03.07.13	12 दिन	8,00,000.00	80,000.00
			मई 13	25.06.13	08.07.13	13दिन	2,06,922.00	20,692.00
			जून 13	25.07.13	05.08.13	10दिन	11,54,147.00	1,15,415.00
			जुलाई 13	25.08.13	05.09.13	10दिन	4,00,000.00	40,000.00
			जुलाई 13	25.08.13	19.09.13	24दिन	7,03,963.00	70,396.00
			अगस्त 13	25.09.13	08.11.13	12 दिन	3,98,340.00	39,834.00
			सितम्बर 13	25.10.13	09.11.13	14दिन	3,30,685.00	33,069.00
			नवम्बर 13	25.12.13	29.01.14	एक माह	3,00,000.00	30,000.00
			दिसम्बर 13	25.01.14	07.02.14	12दिन	6,10,539.00	61,054.00
			जनवरी 14	25.02.14	22.03.14	24दिन	4,54,611.00	45,461.00
			फरवरी 14	25.03.14	09.04.14	14दिन	5,37,930.00	53,793.00
2	सर्वश्री ए0पी0पी0एल0 इंडस्ट्रीज लि0 पन्तनगर	13.14	अक्टूबर 13	25.11.13	30.11.13	5दिन	2,77,422.00	27,742.00
3	सर्वश्री आटो कॉम्प कार्पो0पानसे पंतनगर रुद्रपुर टिन05006530647	2013–14	जून 2013	25.07.13	30.08.2013	एक माह	345600.00	34560.00
4	सर्वश्री यू0पी0 टेलीलिंक्स प्रा0लि0 पंतनगर रुद्रपुर 2013–14		जूलाई 2013	25.08.13	13.08.2013	18दिन	449921	44,992
			नवम्बर 2013	25.12.13	04.01.2014	9दिन	440825	44,083
			फरवरी 2014	25.03.14	28.03.2014	3दिन	355565	35,557
	कुल योग						8531758.00	853176.00

इस प्रकार अधिनियम के आलोक में कम से कम 10 प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड **₹** . 853176.00.00(8531758×10) अनारोपित रह गया।

उपरोक्त के संम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतएव अनारोपित अर्थदण्ड **₹** .8.53 लाख का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "अ"

प्रस्तर.02ः–प्रपत्र सी0 व एफ पर अनियमित छूट के कारण राजस्व क्षति रु.19.18 लाख।

कार्यालय डप्टी क मश्नर (क.नि.)-3, राज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2016 से मार्च 2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री के0एल0पैकेजिंग रुद्रपुर टिन05006531714 एक पंजीकृत व्यौहारी है। फर्म पैकिंग मटेरियल से सम्बन्धित वस्तुओं का निमार्ण कर बिक्री के लिये पंजीकृत है।संगत वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 9(2) के अन्तर्गत आदेश 377 दिनॉक 20.12.2016 पारित किया गया था, जिसमें स्वनिर्मित पैकिंग मटेरियल की प्रपत्र सी0 के विरुध केन्द्रीय विक्री ₹ .106990255.00 पर एक प्रतिशत की दर से ₹ 1069903.00 कर आरोपित किया गया था। इसी प्रकार स्वनिर्मित पैकिग मटेरियल ₹ .52655210.00 के स्टाक ट्रांसफर को करमुक्त किया गया था। आगे पत्रावली की जॉच में पाया गया कि प्रपत्र सी0 एवं एफ के निम्नलिखित प्रपत्र मूल रुप में न होकर इनकी छायाप्रतियों के आधार पर कर छूट प्रदान की गयी थी जिनमें किये गये संव्यवहारों के बिल नं0 व तिथी का अंकन नही किया गया था।

कम सं0	प्रपत्र सी0की सं0	जारीकर्ता व्यौहारी का नाम	अन्तर्ग्रस्त धनराशि (रुपये में)
1.	0983620	मै0 दुर्गा ट्रेडिंग कं0 उत्तर प्रदेश	2229171.00
2.	0443331	मै0गोबर्धन फूड प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश	401223.00
3.	0612527	मै0गाजियाबाद कंन्टेनर्स प्रा0लि0 उत्तर प्रदेश	509545.00
4.	0902146C771869	मै0 मॉ सीता फूड प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश	354904.00
5.	0902145C771870	मै0 मॉ सीता फूड प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश	808707.00
6.	0902143C771871	मै0 मॉ सीता फूड प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश	1018428.00
7.	0024528	मै0 एस0के0 ट्रेडर्स उत्तर प्रदेश	10896003.00
8.	0882084	मै0 वरधान पैकेजिंग प्रा0लि0 उत्तर प्रदेश	400606.00
9.	0882083	मै0 वरधान पैकेजिंग प्रा0लि0 उत्तर प्रदेश	2057921.00
		योग	18676509.00

अतएव मूलरुप में प्रपत्रों के अभाव में इन संव्यवहारों पर पूर्ण दर से करारोपण होना था, इन पर अनियमित छूट के कारण अन्तरीय दर चार प्रतिशत(5–1) से ₹ 747060.00 (18676509×4%) की राजस्व क्षति से इन्कार नही किया जा सकता है।

इसी प्रकार निम्नलिखित प्रपत्र एफ की छाया प्रतियों पर पूर्ण दर से कर छूट प्रदान की गयी ।

कम सं0	प्रपत्र एफ0की सं0	जारीकर्ता व्यौहारी का नाम	अन्तर्ग्रस्त धनराशि (रुपये में)
1.	0348104	मै0 के0एल0पैकेजिंग लखनउ उत्तर प्रदेश	3711750
2.	0348105	———तदैव————	5733600.00
3.	0348107	———तदैव————	2639175.00
4.	0348108	———तदैव————	3825500.00
5.	0348110	———तदैव————	4002925.00
6.	0347201	———तदैव————	3505950.00
		योग	23418900

अतएव मूलरुप में प्रपत्रों के अभाव में इन संव्यवहारों पर पूर्ण दर से करारोपण होना था, इन पर अनियमित छूट के कारण पूर्ण दर पॉच प्रतिशत की दर से ₹ 1170945.00 (23618900×5) की राजस्व क्षतिसे इन्कार नही किया जा सकता है।

उपरोक्त के संम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी, कि सामान्यतः केन्द्रीय संव्यवहार से सम्बन्धित फार्मो की छायाप्रतियां कर निर्धारण से पूर्व दाखिल कर दी जाती है,एवं मूल फार्म कर निर्धारण के समय दाखिल किये जाते है,जिस कारण कभी—कभी पत्रावली में उपलब्ध नही हो पाते।

कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर अपूर्ण एवं अमान्य है, क्योंकि यदि मूल प्रपत्र सी, एफ दाखिल किये गये थे,जिनके आधार पर छूठ दी गयी थी तो उन्हें मूल रुप में उपलब्ध कराया जाना था जो नही कराये गये

अतएव मूल प्रपत्रों के अभाव मे अनियमित कर छूट रु.19.18 लाख का प्रकरण शासन/उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "अ"

प्रस्तर.03ः– अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 400.66 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 10(ख) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी होते हुये कोई माल क्रय करते समय यदि यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल उसके रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र के अनतर्गत है तो धारा 10–क के अनतर्गत यदि माल का क्रय करने वाला कोई व्यक्ति धारा 10 के खण्ड (ख) के अधीन किसी अपराध का दोषी हो, तो वह प्राधिकारी जिसने इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र यथास्थिति उसे अनुदत्त किया था या उसे अनुदत्त करने के लिये सक्षम हो, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकेगा।

कार्यालय डप्टी कमश्नर (क.नि.)-3, राज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2016 से 03/2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री जय सस्पेंशन सिस्टम एल0एल0पी0 रूद्रपुर टिन संख्या 05007995832 पंजीकृत व्यौहारी है। फर्म आटो कम्पोनेन्ट के निर्माण एवं बिक्री का है। वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) एवं केन्दीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 (2) के अन्तर्गत आदेश 596 दिनॉक 28.02.17 पारित किया गया। कर निधारण वाद की संगत वर्ष की पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा माल का क्रय फार्म सी का प्रयोग करके किया गया है। जिसके लिये व्यापारी अधिकृत नही है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपणीय है जिसका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	माल का विवरण	धनराशि	कर की दर	कर	अर्थदण्ड कर का डेढ़ गुना कर
1	सेमी फिनिस्ड गुड्स	167030298	13.5	2,25,49,090	3,38,23,635
2	लाईनर	11354573	13.5	1532867	2299301
3	रिवेट	4110433	13.5	5,54,908	8,32,326
4	एस कब एस	8604623	13.5	1161624	1742436
5	नायलान पैड	0869072	13.5	1467325	2200988
योग					40066360

उपरोक्त अनारोपित अर्थदण्ड रु.4,00,66,360 एवं 223 प्रपत्रो(सी) की सूची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी। अतएवं प्रकरण शासन/उच्चााधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.01ः–प्रपत्र एफ पर अनियमित छूट के कारण राजस्व क्षति रु.0.98 लाख

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–तृतीय वाण्ज्यि कर रुद्रपुर के माह 04/2016 से मार्च 2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री यू0पी0 टेलीलिंक्स लि0 पंतनगर रुद्रपुर टिन05006329566 एक पंजीकृत व्यौहारी है।फर्मपी0वी0सी0केबल मशीनरी इक्यिूपमेंन्ट गैस एप्लाइसेस का निमार्ण कर बिक्री के लिये पंजीकृत है।संगत वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7 के अन्तर्गत आदेश 563 दिनॉक 04.02. 2017 पारित किया गया। करनिधारण वाद की संगत वर्ष की पत्रावली व बैलेंसशीट की जॉच में पाया गया कि फिक्स एसेटस में रु.725270.00.00 की प्लांट एवं मशीनरी को बिक्रय किया गया किन्तु उक्त पर कर निर्धारण आदेश में कोई टिप्पणी नही की गयी, और नही इस पर कर का आरोपण किया गया, जिसके कारण रु.97911.00(725270×13.5) कर अनारोपित रह गया।

उपरोक्त के संम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी टिप्पणी की गयी, कि"व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में रु.2477383.00का स्टाक ट्रान्सफर किया गया,जिसमें से रु.725270.00 का स्टाक ट्रान्सफर गाजियाबाद शाखा का हैएवं यह राशि कन्सालिडेटेड वैलेंससीट में है,बिलों की प्रतियां सलग्न है।

सम्प्रेक्षा को करनिर्धारण अधिकारी का उत्तर इस आधार पर मान्ययोग्य नही है, क्योंकि रु.2477383.00 स्टाक ट्रान्सफर के प्रपत्र एफ पत्रावली पर उपलब्ध पाये गये, परन्तु इसके अतरिक्त रु.725270.00 बैलेंसशीट से प्लान्ट एवं मशीनरी को डिडक्ट किया गया किन्तु इसके प्रपत्र एफ नही पाये गये।

अतएव अनारोपित कर रु.0.98 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.02ः–अनारोपित कर के कारण राजस्व क्षति रु.0.91लाख

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–तृतीय वाण्ज्यि कर रुद्रपुर के माह 04/2016 से मार्च 2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री ओमेगा आइसहिल प्रा0लि0 पंतनगर रुद्रपुर टिन05009707591 एक पंजीकृत व्यौहारी है। फर्म रेफ्रीजरेशन से सम्बन्धित वस्तुओं का निमार्ण कर बिक्री के लिये पंजीकृत है।संगत वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत आदेश 558 दिनॉक 04.02.2017 पारित किया गया। पत्रावली की जॉच में पाया गया कि स्क्रेप की प्रान्तीय बिक्री रु.1067422.00 पर 5 प्रतिशत की दर से करदेयता निधारित की गयी, जबकि रेफ्रीजरेशन के निर्माण में एल्यूमूनियम, प्लास्टिक, लोहा व अन्य धातुओं से किया जाता है। फर्म द्वारा निर्मित उत्पाद पर 13.5 प्रतिशत से करारोपण किया गया। अतएव इसका स्क्रेप अवर्गीकृत स्क्रेप की श्रेणी में आने के कारण इस पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होना था। उदाहरण स्वरुप सर्वश्री सिडिकेट ऑटो कम्पोनेन्टस के संगत वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण वाद में अवर्गीकृत स्क्रेप पर 13.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया है। अतएव उपरोक्त अवर्गीकृत स्क्रेप की बिक्री रु.1067422.00 पर अन्तरीय दर 8.5(13.5–5) से रु.90730.00(1067422×8.5) कर अनारोपित रह गया।

उपरोक्त के संम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा टिप्पणी की गयी, कि आयरन स्क्रेप की बिक्री की गयी है,जिस कारण पॉच प्रतिशत की दर से करदेयता होने के कारण किसी भी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है।

कर निर्धारण अधिकारी का उत्तर इस आधार पर अमान्य है,क्योंकि कर निर्धारण आदेश में केवल स्क्रेप का उल्लेख किया गया है, आयरन स्क्रेप का नही, और न ही करनिर्धारण अधिकारी द्वारा आयरन स्क्रेप की बिक्री के समर्थन में कोई साक्ष्य दिये गये।

अतः रु 0.91 लाख के कम कर आरोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.03ः– प्रपत्र–11 पर अनियमित छूट दिये जाने से करएवं ब्याज के अनारोपण से राजस्व क्षति रु.3.06 लाख

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–तृतीय वाण्ज्यि कर रुद्रपुर के माह 04/2016 से मार्च 2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री किरन उद्योग प्रा0लि0 रूद्रपुर एक पंजीकृत व्यौहारी है। फर्म आटो पार्टस एवं कम्पोनेन्ट के निर्माण एवं बिक्री का है। वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत आदेश 04 दिनॉक 13.04.2016 पारित किया गया। करनिधारण वाद की संगत वर्ष की पत्रावली की जांच में पाया गया कि स्वनिर्मित आटो पार्टस की प्रपत्र –11 के विरूद्ध प्रान्तीय ब्रिक्री 2 प्रतिशत की दर से ` 26,58,34,115 की घोषित की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त का लाभ व्यापारी को दे दिया गया है जबकि फार्म–11 की सूची के अनुसार कर को छोड़कर 10 फार्म कुल ` 26,42,45,101 मुल्य के फार्म–11 पत्रावली पर संलग्न है। अतः 15,89,014 (26,58,34,115 – 26,42,45,100) की बिक्री पर अन्तरीय कर 11.5 प्रतिशत (13.5– 2) के अनुसार कर 1,82,737 (15,89,014 × 11.5 प्रतिशत) व्यापारी पर और आरोपणीय है एवं इस पर `1,18,779 (जनवरी 2018 तक) का नियमानुसार ब्याज भी देय है।

अनारोपित कर एव ब्याज रु. 301516 (182737+118779) के सम्बन्ध सम्प्रेक्षा के इंगित किये जाने पर करनिर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही करने की टिप्पणी की गयी।

अतः रु.3.06 लाख प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.04ः– छुपी बिक्री के कारण कर का अनारोपण रु.2.85 लाख

इकाई के माह 04/2016 से मार्च 2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री व्हील्स इंण्डिया प्रा0लि0 पंतनगर रूद्रपुर टिन 05006529968 एक पंजीकृत व्यौहारी है। फर्म आटो व्हील्स रिम के निर्माण एवं बिक्री का है। वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत आदेश 590 दिनॉक 28.02. 2017 पारित किया गया। करनिधारण वाद की संगत वर्ष की पत्रावली की जांच में आरम्भिक स्टाक, खरीद,बिक्री,व अन्तिम स्टाक में निम्नानुसार अन्तर पाया गयाः–

आरम्भिक स्टाक रु.76287800.00
खरीद + रु.1243906400.00
———————————
योग = रु.1320194200.00
अन्तिम स्टाक(–)रु.61446765.00
——————————
वास्तविक बिक्री/(अन्तर)रु.1258747435.00
कर निर्धारण आदेश में प्रद्रशित बिक्री रु.1256635653.00
———————————
छुपी बिक्री/अन्तर रु.2111782.00

अतएव उपरोक्त आटो व्हील्स की छुपी बिक्री पर पूर्ण 13.5 प्रतिशत की दर से रु. 285090.00(2111782×13.5) कर अनारोपित रह गया। पत्रावली पर नियमानुसार एक करोड या अधिक के बिक्रय धन वाले वाद के साथ बैलेन्स सीट संलग्न किया जाना था जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नही पायी गयी।

उपरोक्त के संम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी।

अतएव अनारोपित कर रु.2.85 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग–दो "ब"

प्रस्तर.05ः– **कर का अनारोपण 0.43 लाख**

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–तृतीय वाण्ज्यि कर रुद्रपुर के माह 04/2016 से मार्च 2017 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री डी वी एस इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 रुद्रपुर टिन 05006607568 एक पंजीकृत व्यौहारी है। संगत वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण वाद उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25(7) के अन्तर्गत आदेश 03 दिनॉक 13.04.2016 पारित किया गया। कर निधारण वाद की संगत वर्ष की पत्रावली व बैलेंसशीट की जॉच में पाया गया कि फिक्स एसेटस में रु. 8,55,385 का वाहन बिक्रय किया गया व्यौहारी द्वारा विक्रय किये गये वाहन रु. 8,55,385 पर करारोपण नही किया गया था। कर निर्धारण आदेश में उल्लेख नही किया गया था। उत्तराखण्ड राज्य में उक्त वाहन पर कर अदा किये जाने के साक्ष्य स्वरुप आर0सी0/या आर0सी0 की प्रमाणित छायाप्रति भी उपलब्ध नहीं थी।

उपरोक्त के संम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी। अतएव वाहन की बिक्री पर अनारोपित कर रु.42769.00(855385×5) प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाने हेतु प्रस्तुत है।

भाग-III

राजस्व से संबं धत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण :

	प्रारम्भ की स्थिति		अवशेष	
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II ‘क’ प्रस्तर संख्या	भाग-II ‘ख’ प्रस्तर संख्या	भाग-II ‘क’ प्रस्तर संख्या	भाग-II ‘ख’ प्रस्तर संख्या
CT-25/2013-14		01		
CT-52/2014-15		01		
CT-45/2015-16	01	01,02,03,04,05,06		
CT-40/2016-17		01,02,03,04		

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण : शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबं धत इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) -3 राज्य कर रूद्रपुर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गये:
   (i) कर निर्धारण हेतु अन्य को हस्तांतरित।
   (ii) कर निर्धारण वाद सं. 0117 प्रस्तुत नहीं कये गये।
2. सतत् अनिय मतताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती मोहिता भण्डारी	उपायुक्त(01.04.16 से 23.08.16)तक
(ii)	श्री एन.एस.वोरा	उपायुक्त(23.08.16 से 04.02.17)तक
(iii)	श्री ठा.रणवीर संह	उपायुक्त(05.02.18 से वर्तमान) तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण) -3 राज्य कर रूद्रपुर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अ धकारी/राजस्व क्षेत्र